राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में दिनांक 11.12.2023 को होने वाली अनुपयोगी सामानों/वस्तुओं की सामान्य नीलामी के लिए नियम एवं शर्तें |

Terms and conditions of the general auction for condemned items to be held on 11.12.2023 at NDRI Karnal.

टोकन केवल उन्हीं बोलीदाताओं को दिनांक 11.12.2023 को प्रात: 09.00 बजे से जारी किये जायेंगे जिनके पास वैध पैन नम्बर होगा | बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी पहचान पत्र जैसे कि राशन कार्ड/आधार कार्ड विटर कार्ड/बिजली का बिल इत्यादि की प्रतिलिपि, एक हालिया पासपोर्ट आकार की फोटो और संपर्क न. प्रदान करना होगा अन्यथा टोकन जारी नहीं किया जायेगा |

Token will be issued between 9.00 AM on 11.12.2023 to only those bidders who are having valid PAN Number. The bidders will have to provide photocopy of his identity proof such as Rashan Card/Aadhar Card/Electricity bill/Voter Card etc., one recent passport size photograph and contact No. failing which no token will be issued.

- 1. सामान्य नीलामी दिनांक 11.12.2023 (सोमवार) को आडिटोरियम में होगी |
- 1. The General Auction will be held on 11.12.2023 (Monday) at auditorium.
- 2. सामग्री/सामान "जैसी है और जहाँ है" के आधार पर बेची जाएगी |
- 2. The material will be sold on the basis as it is & where it is.
- 3. बोली लगाने के पात्र बनने के लिए सभी बोलीदाताओं को आईसीएआर-यूनिट एन.डी.आर.आई., करनाल के पक्ष डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 25000/- की धरोहर राशि जमा करानी होगी, जो नीलामी की समाप्ति के पश्चात् केवल उन बोलीदाताओं को वापिस लौटा दी जाएगी, जिन्होंने कोई लोट/सामान नहीं ख़रीदा है |
- 3. All bidders have to deposit a sum of Rs.25000/-as earnest money in form Demand Draft in favour of ICAR-UNIT NDRI, KARNAL to become eligible for bidding, which will be refunded when auction is over only to those bidders who do not purchase any lot.
- 4. एक व्यक्ति/बोलीदाता को धरोहर/सुरक्षा राशि के बदले केवल एक टोकन जारी किया जायेगा। उक्त व्यक्ति/बोलीदाता को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
- 4. One person will be issued only one token against security money and the said person should be physically present.
- 5. उन लोट के सफल बोलीदाताओं की धरोहर/सुरक्षा राशि जिनकी बोली रु. 25000/- से अधिक है की बकाया राशि जमा करने एवं सामग्री/वस्त्ओं के उठाने के बाद ही जारी की जाएगी |
- 5. The earnest money of successful bidders of those lots whose bid amount is more than Rs. 25000/-their earnest will be released after lifting of complete material.

- 6. भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार नकद लेनदेन के संबंध में, सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मोड़ (स्वाइप मशीन/आरटीजीएस/डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग) आदि के द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगें। किसी भी प्रकार की नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 6. As per Govt. of India guidelines regarding cash transactions all payments will be accepted in electronics mode only (swipe machine/RTGS/Debit Card etc.). No cash will be accepted.
- 7. एकल लॉट के लिए जिसकी उच्चतम बोली राशि 25000/- रुपये से कम है का पूर्ण भुगतान बोलीदाताओं द्वारा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स मोड़ (स्वाइप मशीन/आरटीजीएस/डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग) के माध्यम से जमा कराना होगा |
- 7. For a single lot, whose highest bid amount is less than Rs. 25000/-, full payment is required to be deposited immediately by the bidders by swipe machine/RTGS/Debit Card etc.
- 8. एकल लॉट के लिए जिसकी उच्चतम बोली राशि 25000/- रूपये से कम है का 25% राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक्स मोड़ (स्वाइप मशीन/आरटीजीएस/डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग) से हथोड़े की चोट पर जमा कराना होगा एवं 75% राशि डिमांड ड्राफ्ट/एलेक्टोनिक मोड़ के माध्यम से सामान/सामग्री उठाने से पहले जमा करानी होगी | बोलीदाताओं द्वारा उपरोक्त राशि जमा कराने की प्रत्याशा में स्वाइप कार्ड, डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखना होगा। जो कि कुल राशि का 25% से अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए |

ध्यान दें: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नेट बैंकिंग में लाभार्थी के रूप में एनडीआरआई बैंक विवरण के साथ पहले से ही जोड़ ले।

8. For a single lot, whose highest bid amount is less than Rs. 25000/-, 25% of total bid amount will be deposited after fall of hammer in any of electronic mode of payment swipe machine/RTGS/Debit Card and 75% amount will be deposited before lifting the in the material in form Demand Draft/electronic mode only. The bidders should keep ready their Debit Card to make payment through swipe machine or DD in anticipation of the amount to be deposited. It may be more than 25% of total bid amount should not less than that.

Note: The Bidders are advised to add NDRI Bank details as beneficiary in there Net Banking in advance.

- 9. ऐसे लॉट जिनकी वास्तविक वजन या मात्रा, नीलामी के समय जात ना हो जैसे: लकडिया और लगे हुए फिक्स उपकरण इत्यादि को प्रति किलिग्राम/प्रति क्विंटल के हिसाब से बेंचे जायेंगे | बोलीदाताओं को नीलामी के समय बताऐ गए अनुमानित वजन/मात्रा के आधार पर गणना की गई राशि का 25% राशि का भुगतान तुरंत करना होगा एवं शेष राशि का भुगतान सामान/सामग्री उठाने से पहले करना होगा |
- 9. Those lots whose actual quantity or weight is not known at the time of auction such as wood and fitted instruments etc. which will be sold on per Kg./per quintal basis. The bidders have will be deposited 25% amount calculated on basis approximately quantity given on time of auction and balance amount will be deposited before lifting the material.

- 10. यदि कोई सफल बोलीदाता हथोड़े की चोट पर तुरंत, कुल बोली राशि का 25% राशि जमा नहीं करता है तो बोलीदाता की सुरक्षा/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और उसी लॉट की नीलामी दोबारा आयोजित की जाएगी या इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का निर्णय पूर्ण एवं अंतिम होगा और सभी को स्वीकार्य होगा |
- 10. If any successful bidders do not deposit 25% of total bid amount immediately after fall of hammer, his full earnest money will be forfeited and the auction of same lot will be held again or the decision of chairman in this regard will be full and final and acceptable to all.
- 11. यदि कोई बोलीदाता अन्य बोलीदाता के साथ मिल जाता है या अंतिम बोली से पीछे हट जाता है तो उक्त बोलीदाता की सुरक्षा/धरोहर राशि के रूप में जमा है को जब्त कर लिया जायेगा एवं उसे आगे बोली में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी |
- 11. If any bidder pools with other bidder or backs out from the final bid the amount deposited as earnest money will be forfeited & will not be allowed further to take part.
- 12. सफल बोलीदाताओं द्वारा सहा.प्रश्.अधिकारी (भंडार)/प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 16.12.2023 तक प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे के बीच कार्य दिवस में बिना जुर्माने के सामान/सामग्री उठाई जा सकती है अन्यथा निम्नलिखित जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा |
- 12. Material may be lifted by successful bidders by 16.12.2023 without penalty in working hours between 10.00 AM to 4.00 PM in presence of AAO(S)/representative failing which following penalty will be charged.
- i. नीलामी के बाद पांच दिनों के भीतर यानि दिनांक 16.12.2023 तक बिना जुर्माने के स्वयं के जोखिम पर उठाना होगा |
- i. Within five days after auction i.e. up to 16.12.2023 without penalty at your own risk.
- ii. दिनांक 16.12.2023 के बाद सारा सामान/सामग्री उठाने की तारीख तक प्रतिदिन @1000/- रुपये जुर्माना लगेगा |
- ii. After 16.12.2023 @ Rs. 1000/-per day till date of lifting of whole material.
- 13. तकड़ी/उखड़े हुए सूखे पेड़ों सिहत छोटी-मोटी तकड़ियाँ को प्रति क्विंटल के हिसाब से नीलाम किया जाएगा और जिनको दिनांक 10.01.2024 तक उक्त पूरी सामग्री उठाना होगा, अन्यथा दिनांक:10.01.2024 के बाद 1000/- रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा |. इसी प्रकार से खाली बोरियां/प्लास्टिक बैग इत्यादि को दिनांक 10.01.2024 तक उठाना आवश्यक है, अन्यथा उपरोक्तानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- 13. Wood/uprooted dried trees including small branches will be auctioned on per quintal and material to be lifted up to 10.01.2024 failing which penalty after 10.01.2024 will be charged @ Rs. 1000/- per day till date of lifting of whole material and Gunny/Plastic Bags to be lifted up to 10.01.2024 failing which penalty will be charged as above.
- 14. लागू जीएसटी और टीडीएस अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा |
- 14. GST and TDS as applicable will be charged extra.

- 15. लॉट की सकल मूल्य पर 1% टीसीएस अतिरिक्त लिया जायेगा यानि उच्च दर बोली राशि पर वैध टीसीएस + कर।
- 15. 1% TCS will be charged extra on Gross amount of lot i.e. high rate bid amount valid TCS+ Taxes.
- 16. यदि किसी कारणवश टोकन या 25% जमा राशी की किशयर रसीद गुम हो जाती है तो बोलीदाता द्वारा प्रमाणित गैर न्यायपालिका कागज पर हलफनामा प्रदान करना होगा |
- 16. In case token or 25% cashier receipt is misplaced the bidder will provide affidavit on non judiciary paper dully attested by the Notary Public.
- 17. कंडम/अनुपयोगी सामानों/सामग्री को नीलामी से पहले वाले कार्य दिवस और नीलामी के दिन केन्द्रीय भंडार परिसर में देखा जा सकता है | (कार्य दिवस के समय में)
- 17. Condemned material may be seen in the Central Store compound one working day before the auction and on auction day. (Working Hours)
- 18. किसी भी व्यक्ति/बोलीदाता को लॉट आबंटित होने के बाद उसे एनडीआरआई परिसर में किसी अन्य व्यक्ति/बोलीदाता को नहीं बेचा जायेगा |
- 18. After the allotment of lot to any person, the same cannot be sold to anybody else at NDRI Campus.
- 19. नीलाम की गई सामानों/सामग्री को उठाने से पूर्व बोलीदाता को गेट पास बनवाना आवश्यक है । केवल वास्तविक क्रेताओं/बोलीदाताओं को कार्य दिवस में सायं 04.00 बजे तक केन्द्रीय भंडार द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा ।
- 19. Before lifting the auctioned material the bidder is required to obtain gate pass. Gate pass will be issued by the Central Store up to 4.00 PM only on working day to the actual purchasers only.
- 20. नीलाम की गई सामग्री के परिवहन के दौरान यदि संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो सम्बंधित बोलीदाता नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा |
- 20. During the course of transportation of auctioned material, if, any damage, loss of the Institute property occurs the concerned bidder will be responsible to recoup the loss.
- 21. बोलीदाताओं को किसी भी प्रकार के हथियार के साथ एनडीआरआई परिसर/आडिटोरियम में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जाएगी | अन्यथा जमा की गई सुरक्षा/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और व्यक्ति/बोलीदाता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी |
- 21. The bidders will not be allowed to enter in NDRI Premises/Auditorium with any weapon failing which the amount of Security deposited will be forfeited and suitable legal action will also be taken against the person/bidder.

A .

- 22. उच्चतम बोली लगाने वाले को लॉट के आबंटन के बाद प्राकृतिक आपदा/आग/चोट/जहरीले जानवर के काटने/चोरी की अवस्था या किसी अन्य कारण से क्रेता/बोलीदाता को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा |
- 22. The Institute will not be responsible for any loss to be purchaser due to natural calamity/fire/injury/insect bites/theft or with any other reasons after the allotment of lot to highest bidder.
- 23. निदेशक/अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के पास निबंधनों एवं शर्तों को संशोधित करने या एक या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।
- 23. The Director/Chairman, NDRI, Karnal has full rights to modify the terms & conditions or accept/reject many or all bids.
- 24. किसी भी विवाद/मुकदमे की स्थिति में न्यायक्षेत्र केवल करनाल होगा |
- 24. In case of any dispute/litigation, jurisdiction will be Karnal only.

